दून विश्वविद्यालय, देहरादून

प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय

संख्याः-997/ 138/डी.ए.ए./23
दिनांकः29 दिसम्बर 2023

अपील संख्या : 62

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19(1)

समक्ष– डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल, प्रथम अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

अपीलकर्ताः डा0 अर्चना शर्मा।

प्रतिवादीः लोक सूचना अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
सहायक लोक सूचना अधिकारी (प्रशासन), दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

आदेश

डा0 अर्चना शर्मा, देहरादून द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड, केदारपुर, देहरादून को अपीलीय पत्र दिनांक 29.11.2023 प्रेषित किया गया।

उक्त अपील दिनांक 29.11.2023 को प्राप्त हुई, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील के रूप में स्वीकार करते हुये अपील संख्या 62 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त अपील पर सुनवायी हेतु 26 दिसम्बर 2023 सांय 4:00 बजे की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुये उभयपक्षों को आदेश संख्या 959/138/DDA/DU/2023 दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनवायी हेतु उपस्थित होने के आदेश जारी किये गये।

1. निर्धारित तिथि एवं समय पर अपीलार्थी उपस्थित रहे।
2. निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई हेतु प्रतिवादी श्री नरेन्द्र लाल, लोक सूचना अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण श्री शुभम नौटियाल, सहायक अभियन्ता, लोक सूचना अधिकारी के रूप में एवं डा0 रजनीश कुमार, सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुये।
3. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील, सूचना प्राप्त करने के मूल आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2023, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (पत्र स0 831 दिनांक 25.10.2023 संलग्नकों सहित), प्रथम अपीलीय पत्र, तथा अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी के मौखिक अभिकथनों को कार्रवाई हेतु पत्रावली का भाग बनाते हुये अपील प्रक्रिया संचालित की गयी, जिसका बिन्दुवार विरण निम्नवत हैः–

बिन्दु सं0 1–3

अपीलकर्ता– अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील पत्र में उल्लेख किया गया है कि, "PIO denied the information on the basis of information is being personal information whereas information is necessary to prove and expose that complainant made false statement against me and malafide in nature. Information is also necessary to prove that university administration is discriminating by applying two different sets of rule.

It is also requested that the applicant should be given the opportunity to verify/ examine the documents."
इसके अतिरिक्त अपीलार्थी डा0 अर्चना शर्मा ने भौतिक रूप में बताया कि उन्हें डा0 एस0एस0 सूथर, डा0 सुनीत नैथानी एवं डा0 नितिन कुमार के ओरिएन्टेशन, रिफ्रेशर/ मेथोडोलाजी वर्कशॉप में उपस्थित होने के प्रमाण पत्र तथा उनके द्वारा भरे गये कैस प्रोमोशन के आवेदन–पत्र, नोट शीट, प्रमोशन की तिथियां उपलब्ध कराई जांय।

प्रतिवादी, सहायक लोक सूचना अधिकारी–

प्रतिवादी डा0 रजनीश कुमार, सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि डा0 अर्चना शर्मा द्वारा पर व्यक्तियों की सूचनायें मांगी गई थी, जिसे पर व्यक्तियों को उनका पक्ष जानने के लिए सूचित किया गया था कि डा0 अर्चना शर्मा द्वारा उनके सम्बन्ध में मांगी गई सूचना उन्हें उपलब्ध कराई जाय अथवा नहीं। पर व्यक्तियों द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि उनकी यह सूचना व्यक्तिगत होने के कारण वादी को न दी जांय। सूचनाओं की प्रकृति व्यक्तिगत देखते हुए सूचनायें नहीं दी गई तथा पर व्यक्तियों के मन्तव्य से उन्हें अवगत करा दिया गया था।

प्रथम अपीलीय अधिकारी–

4. सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्तियों के निवेदन को ध्यान में रखते हुए डा0 अर्चना शर्मा को सूचनायें नहीं दी गई।
5. विभागीय प्रथम अपील उपरोक्तानुसार विचार करते हुए निस्तारित तथा निक्षेपित की जाती है।
6. आदेश की प्रति उभयपक्षों को ई–मेल या पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाये।

पत्रावली संचित की जाये।

आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित

दिनांक 28/12/2023

(डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड़, केदारपुर,
पो0ओ0 अजबपुर, देहरादून
ईमेल registrar@doonuniversity.ac.in
फोन न0 0135-2533136/115

नोट : अपीलार्थी उक्त निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में प्रथम अपील के इस निर्णय के प्राप्ति तिथि से 90 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी वायपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में द्वितीय अपील कर सकते हैं।